	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	11/11/2019 वकुलाप उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र O-7 - R-11 व जवाब प्रार्थना पत्र O-8 R-9 CPC हेतु दिनांक 26/11/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस डी ओ.) देसूरी (पाली)	
	26/11/2019 वकुलाप उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र O-7 R-11 व जवाब प्रा. पत्र हेतु दिनांक 4/12/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	4/12/2019 वकुलाप उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC सपठित धारा 151 CPC पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र हेतु दिनांक 24/12/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	24/12/2019 वकुलाप उपस्थित। प्रतिवादी स. 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O-7 R-11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद आर्डर-7 नियम [illegible] के तहत खारीज किया जाता है। निर्णय [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible]ल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या–01/2018
तारीख निर्णय– 24/12/2019

वादी–

पेमाराम पुत्र कसनाजी जाति–बावरी निवासी–प्रतापगढ (सादडी) तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1. गुलाबराम पुत्र हरजीराम जी का स्वर्गवास होने से कायम मुकाम वारीसान
   1/1 कुपा पुत्र कसना
   1/2 पेपी पत्नी कसनाजी
   1/3 धनाराम पुत्र गुलाबराम
   1/4 लकमाराम पुत्र गुलाबराम जी
2. चौपाराम पुत्र हरजीराम के कायम मुकाम वारीसान
   2/1 भावाराम पुत्र चौपाराम जी
3. ईश्वर पुत्र रूपाजी
4. सुकी देवी पत्नी भुरारामजी
5. रतनलाल पुत्र भुराराम

   तमाम जातिगण–बावरी, निवासीगण– प्रतापगढ (सादडी) तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)
6. तहसीलदार , (भूमिधारी) राजस्थान सरकार

–: वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92ए. राज0 काश्त0 अधिनियमः–
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति–

1–वकील श्री दिनेश माली वादी की ओर से।
2–प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से वकील महेन्द्र शर्मा उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:22 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक– 24/12/2019

वकील प्रतिवादीगण संख्या चार व पांच की ओर से दिनांक 14.08.2018 प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया।जिसका जवाब वकील वादी द्वारा दिनांक 01.10.2019 को पेश किया गया।

पेज लगातार 2 पर ...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 887 रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा गुलाब, जसा, चौपा, तिलोक, जगा पिसरान हरजी कौम बावरी निवासी–सादडी पाचों भाईयों की खातेदारी आधिपत्य की थी, जिसमें जगा पुत्र हरजी की खातेदारी का 1/5 हिस्सा अर्थात 6 बीघा 6 बिस्वा हिस्सा बनता था जो उक्त पुराने खसरा नम्बर 887 रकबा 31 बीघा 11 बीस्वा मे विद्यमान उक्त जगा पुत्र हरजी की खातेदारी के सम्पूर्ण हिस्से की 6 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि बएवज प्रतिफल राशि के बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27/06/1975 के पूर्व में ही गुलाब पुत्र चिमनाजी जाति–बावरी, निवासी–सादडी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं उक्त बेचान के जरिये नामान्तरण संख्या 889 के द्वारा राजस्व अभिलेख में जगा द्वारा बेचान की गई भूमि के मिन नम्बर 887/मी रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा उक्त क्रेता गुलाब पुत्र चिमना के नाम पृथक से खातेदारी दर्ज हुई और शेष जमीन 25 बीघा 5 बिस्वा चारो भाईयो गुलाब, जसा, चौपा, तिलोक पिता हरजी की खातेदारी रही जो राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबन्दी मे इनके नाम दर्ज हुई। जिसके बाद सेटलमेंट के दौरान नये खसरा नम्बर 3021 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 3047 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बार 3048 रकबा 0.7400 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा–3 कुल क्षेत्रफल 3.1700 हैक्टर बने है।

इस प्रकार पुराने खसरा नम्बर 887 कुल रकबा–31 बीघा 11 बीस्वा मे विद्यमान उक्त जगा पुत्र हरजी की खातेदारी का सम्पूर्ण हिस्सा उनके द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रया विलेख दिनांक 27.06.1975 के जरिये श्री गुलाब पुत्र चिमना को विक्रय किये जाने के पश्चात वादग्रस्त आराजी मे उक्त जगा पुत्र हरजी का कानूनन कोई हक विद्यमान शेष नही रहा था, फिर भी वादी के पिता कसना ने मिलावट कर बेईमानीपूर्वक जमीन हथियाने की कुचेष्टा मात्र उक्त पुराने खसरा नम्बर 887 मे सवा पांच बीघा जमीन जगा की गलत रूपेण बताते हुए एक बेचाननामा दिनांक 02/06/1976 को वादी के पिता कसना पुत्र चेनाजी के नाम से निष्पादित कर बाला बाला पंजीयन करवा दिया, जिसका विक्रेता उक्त जगा पुत्र हरजी को कोई कानूनन हक अधिकार ही नही था। जिससे उसके द्वारा पश्चात्वर्ती वादी के पिता कसना के पक्ष में किया गया बेचान दिनांक 02/06/1976 अवैध, विधि एवं नियमों के विरूद्ध है, जो किसी प्रकार से विधिक अन्तरण नही है एवं प्रारम्भतः शुन्य (एबइनिशियो बोईड) है शुन्य एवं निष्प्रभावी है एवं उक्त शुन्य बेचान के जरिये क्रेता वादी के पिता कसना पुत्र चेनाजी को किसी प्रकार से कोई कानूनन हक अधिकार वादग्रस्त आराजी मे प्राप्त नही होते है न कभी प्राप्त ही हुए है न कभी कसना के जीवनकाल मे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही रहा न ही उसकी मृत्युपश्चात उसके वारिसान का ही कब्जा ही रहा। विधि का यह सुस्थापित एवं सर्व मान्य सिद्धान्त है कि किसी सम्पति मे विक्रेता को जब कोई हक अधिकार ही [illegible] के द्वारा किसी क्रेता को बेचान कर दिये जाने पर भी क्रेता को कानूनन किसी प्रकार से [illegible] अधिकार [illegible] नही होते है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में उक्त पश्[illegible] के जरिये वादी के पिता कसना को किसी प्रकार से कोई कानूनन हक अधिकार ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त एवं अर्जित नही हुए है एवम् जब किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी मे वादी के पिता या वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:22 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 3 पर ...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कोई विधिक हक अधिकार आधिपत्य ही नही थे, न है, जिससे वादी हस्ब धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही हैं।

यह है इतने वर्षो के बाद अब वादी के पिता कसना की मृत्यु पश्चात काफी लम्बा अरसा 41 वर्षो से अधिक समय के बाद वादी द्वारा उक्त सारी वास्तविकताओं की जानकारी होते हुए भी उक्त सारी वास्ताविकताओं को छिपा कर उसके पिता के नाम कराये उक्त पश्चात्वर्ती शून्य बेचान दस्तावेज दिनांक 02/06/1976 के आधार पर यह वाद कत्तई गलत प्रस्तुत किया है। एवम् वादी स्वच्छ हाथो श्रीमान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है जिससे साम्यपूर्ण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। जिससे वादी को इस वाद का कोई वाद हेतुक ही उदित नही हुआ है एवं खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। एवं खातेदारी घोषणा के वाद में सभी सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है। फिर भी वाद द्वारा जान बुझ कर मृत गुलाबराम की पुत्री पानी को पक्षकार नही बनाया है एवं सह खातेदार अणदाराम पुत्र भेराराम को जानबुझ कर पक्षकार नही बनाया गया है। जिसके अभाव मे भी वादी का यह वाद कानूनन मेन्टेनेबल नही होकर प्राथमिक स्तर पर ही काबिल खारिज है।

जिससे वादी का यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधि वर्जित होने से भी हस्ब आदेश-7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज योग्य है। एवम् इस प्रकार की मिथ्या एवं निराधार कार्यवाही से प्रतिवादीगण अनावश्यक परेशान हो रहे है एवं खर्चे से जेरबार हो रहे है, जिससे इस प्रकार का मिथ्या एवं बिना किसी हक अधिकार की कार्यवाही वाद को प्रारम्भिक स्तर पर ही हस्ब धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज योग्य है ताकि प्रतिवादीगण रिकार्डेड विधिक खातेदारान अनावश्यक परेशानियो से बच सके।

वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वकील वादी द्वारा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार जगा पुत्र हरजी को गत खसरा संख्या 887, 886, 717, 717/1 कुल रकबा 56 बीघा 4 बिस्वा की आराजी मे 1/5 हिस्सा हक अधिकार विद्यमान होने से वादी के पिता ने जगा पुत्र हरजी को निहित 1/5 हिस्सा अर्थात 11 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में से 5 बीघा 5 बिस्वा की भूमि खरीद की थी जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.06.1976 से प्रमाणित है। प्रतिवादी ने गलत रूपेण विक्रय विलेख दिनांक 27.06.1975 अभिवर्णित किया है। वादीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 02.06.1976 आज भी पूर्व विधिक प्रभाव में है और किसी भी न्यायालय से निरस्त किया हुआ नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/3 हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकार एवं कब्जा काश्त वक्त खरीद से लेकर विद्यमान हैं। शेष सभी प्रतिवादी ने [illegible] एवं विधि के विरूद्ध अभिवर्णित किये है जो खारिज योग्य होकर [illegible] खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा व निषेधाज्ञा विभाजन का वाद कानूनन [illegible] द्वारा वाद बाबत सहखातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:34:22 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर ....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कृषि भूमि में घोषणा खातेदारी हक अधिकार एवं विभाजन का वाद होने से माननीय न्यायालय मे समक्ष परिपोषणीय है।अतः प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रतिवादी संख्या चार व पॉच की ओर से वकील की बहस सुनी गई तथा वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। प्रतिवादी संख्या चार व पॉच की ओर से वकील ने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पुराने खसरा नम्बर 887 रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा गुलाब, जसा, चौपा, तिलोक, जगा पिसरान हरजी कौम बावरी पाचों भाईयों की खातेदारी आधिपत्य की थी, जिसमें जगा पुत्र हरजी की खातेदारी का 1/5 हिस्सा अर्थात 6 बीघा 6 बिस्वा हिस्सा बनता था जो अक्त पुराने खसरा नम्बर 887 रकबा 31 बीघा 11 बीस्वा मे विद्यमान उक्त जगा पुत्र हरजी की खातेदारी के सम्पूर्ण हिस्से की 6 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिफल राशि के बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27/06/1975 के पूर्व मे ही गुलाब पुत्र चिमनाजी जाति–बावरी, निवासी–सादडी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। अतः प्रथम दस्तावेज के जरिये जो बेचान हुआ उसका म्यूटेशन गुलाब पुत्र चिमनाजी के नाम दर्ज हो गया जिससे जगा पुत्र हरजी का कोई हक अधिकार शेष नही है। पश्चात्‌वर्ती वादी के पिता कसना के पक्ष में किया गया बेचान दिनांक 02/06/1976 अवैध, विधि एवं नियमों के विरूद्ध है अतः उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि एक ही जमीन का दो बार बेचान हुआ है। यदि 02.06.1976 का बेचान सही होता तो इसका नामान्तरण दर्ज होता।

वकील वादी ने अपनी लिखित बहस पेश कर व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद में जवाबदावा के रूप में लिये गये बचावों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो पोषणिय नही है। वादी ने पुराने खसरा नम्बर 887, 886, 717, 717/1 कुल रकबा 56 बीघा 4 बिस्वा मे से वादी के पिता कसना पुत्र चेनाजी बावरी द्वारा दिनांक 02.06.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख 5 बीघा 5 बिस्वा आराजी की खरीद करने से निहित खातेदारी हक अधिकारो बाबत घोषणा का वाद पेश किया गया था। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार द्वारा ही प्रदत किये जा सकते है।प्रतिवादी संख्या पॉच ने दिनांक 04.01.2018 को धमकिया देने और सेटलमेंट भूल के कारण नामान्तरकरण इन्द्राज नही होने की जानकारी होने से वाद पेश करने का वाद हेतुक उदित हुआ है। तथा प्रतिवादी दिनांक 27.06.1975 को अपने हक में निष्पादित कराये विक्रय विलेख को आधार बनाये जाकर जवाब दावा में कथन किया है जो प्रतिवादी का बचाव साक्ष्य का मोहताज है। जिसका तनकी विरचित कर साक्ष्य अभिलिखित किये जाकर ही वादी के वाद का निर्णय किया जा सकता है। पुराने खसरा संख्या 887, 886, 717, 717/1 कुल रकबा 56 बीघा 4 बिस्वा के खातेदार गुलाब, जसा, चौपा, तिलोक, जगा पुत्रगण हरजी बावरी को बहिस्से [illegible] बराबर से सम्पूर्ण आराजी मे 1/5 वां हिस्सा की आराजी (11 बीघा 1[illegible] किया है। दोनों विलेखो दिनांक 02.06.1976 और 27[illegible] आराजी का योग है। इस प्रकार कुल आराजी 56 बीघा 6 बिस्वा में जगा को निहित आराजी [illegible] बेचान किया गया है। जिससे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:22 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

का वाद बाबत घोषणा का विधि अनुसार सही है। तथा पक्षकारो के असंयोजन के कारण वाद को इस प्रकम पर खारीज नही किया जा सकता है। वाद में पक्षकार कोई आवश्यक और प्रभावी है तो उसे बनाया जा सकता है।

अतः आदेश–7 नियम–11 के आधार पर सरसरी तौर से वाद खारीज नही किया जा सकता है। मात्र वादी के वाद अभिवचनों से वाद विधि वर्जित होने से वाद विधि वर्जित होने पर ही वाद खारीज किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा लिये गये बचाओं पर बाद साक्ष्य ही वाद का निर्णय किया जा सकता है।

वकील वादी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. सन्नोदेवी बनाम सतीश चौधरी RRT2018(1) पेज 629
2. पानी बनाम मगनीलाल RRT 2016(2) पेज 1360
3. लाबूलाल बनाम बिलू व अन्य RRT 2018(2) पेज 1176
4. भागीरथ बनाम हडमानराम व अन्य 2010 2 RLW(RJ) 1241
5. कलासिंह बनाम मनोहरलाल व अन्य 2012 2 RLW(RJ) 1141

उभयपक्षो पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी नये खसरा नम्बर 3021, 3047 व 3048 के पुराने खसरा नम्बर 887 है एवं पुराने खसरा नम्बर 887, 886, 717, 717/1 कुल क्षेत्रफल 56 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि गुलाब, जसा, चौपा, तिलोक, एवं जगा पुत्र हरजी बावरी के सह खातेदारी हक अधिकार की स्थित रही है।जो जमाबन्दीह सम्वत 2030 से 2033 से स्पष्ट है।जिसमे खसरा नम्बर 887 रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा इन पॉचों भाईयों की खातेदारी आधिपत्य की थी। जिसमें जगा पुत्र हरजी को खातेदारी 1/5 हिस्सा विद्यमान था, जिसके अनुरूप 6 बीघा 6 बिस्वा बनता था। जिसका खातेदारी के सम्पूर्ण हिस्से की 6 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिफल राशि के बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27/06/1975 को गुलाब पुत्र चिमनाजी जाति–बावरी, निवासी–सादडी को विक्रय किया गया था। फिर भी उक्त पुराने खसरा नम्बर 887 मे 5 बीघा 5 बिस्वा जमीन का बेचाननामा दिनांक 02.06.1976 को वादी के पिता कसना पुत्र चेनाजी के नाम निष्पादित किया गया था। जिसका विक्रेता उक्त जगा पुत्र हरजी को कोई कानूनन हक अधिकार ही नही था। क्योंकि विक्रेता जगा पुत्र हरजी का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार आधिपत्य या भूमि शेष रही ही नही थी जो जमाबन्दी 2030–2033 से स्पष्ट है जिससे उसके द्वारा पश्चात्वर्ती वादी के पिता कसना पुत्र चेनाजी के पक्ष किया जावें। तथा उक्त पश्चात्वर्ती बेचान के जरिये केता कसना पुत्र चेनाजी व उनके वारिसान के नाम 41 वर्षो से अधिक समय से नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज नही हुआ जिसकी वादी को उक्त सारी वास्तविकताओं की जानकारी थी। तथा विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी सम्पति में विकेता को जब कोई हक अधिकार ही प्राप्त नही हो तो उसके द्वारा किसी को बेचान कर दिये जाने पर भी केता को कानूनन किसी प्रकार से कोई हक अधिकार प्राप्त नही हो होते है। जिससे वादी को इस वाद का कोई वाद हेतुक ही उदित नही हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:22 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद आदेश–7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 24/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.11 15:54:22 IST
Reason: SelfAttested